(172)

(279)
Rs. 301-

पक्षकारों एवं अधि... आदि : ...

विलोपित / निरस्तीकृत

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल सर्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0।

विलोपित / निरस्तीकृत

R-5399 III/16

1- रामलोचन सिंह तनय स्व0 श्री शिवनारायण सिंह उम्र 76 वर्ष निवासी ग्राम मैनहाई पोस्ट सेमरिया (जगन्नाथ) तहसील चित्रकूट धाम कर्वी उ0प्र0 ।

2- छत्रपाल सिंह तनय स्व0 भोला प्रसाद सिंह उम्र 47 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम मैनहाई पोस्ट सेमरिया (जगन्नाथ) तहसील चित्रकूट धाम कर्वी उ0प्र0 ।

अधिवक्ता श्री भवधरानी
सहित प्रस्तुत / 12.9.16

-------- निगरानी कर्तागण ।

बनाम

1- छोटा पिता काल्गो साहू उम्र 70 साल पेशा खेती निवासी ग्राम मैनहाई पोस्ट सेमरिया (जगन्नाथ) तहसील चित्रकूट धाम कर्वी उ0प्र0 ।

2- शासन म0प्र0

------- अनावेदक गण ।

राजस्व निरीक्षक मंडल चित्रकूट तहसील - मझिगवां जिला सतना द्वारा राजस्व प्र0क्र0 93/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-06-16 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0सहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

1- राजस्व निरीक्षक मंडल चित्रकूट द्वारा की गयी सीमांकन की कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह निर्विवादित तथ्य है कि ग्राम पैसहरा प0ह0 पालदेव राजस्व निरीक्षक मंडल चित्रकूट तहसील मझिगवां जिला सतना स्थित भूमि ख0क्र0 78 रकबा 1-327 हे0 के 1/2 हिस्से के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी आवेदक गण तथा 1/2 हिस्से के भूमिस्वामी राममनोहर, गोविन्द , सूर्यपाल

रा0 लोचन / Chhatrapal Singh   क्र0 —

(172)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5399 / II–2016 जिला–सतना

रामलोचन सिंह / छोट साहू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल चित्रकूट, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 09 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	